न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4441/2005/जयपुर

1. रामनारायण
2. कन्हैयालाल
3. मोहनलाल
4. श्रवणकुमार
5. श्रीराम

–पुत्रगण स्वर्गीय श्योला उर्फ श्योनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासीगण ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर

6. श्रीमती मंगली बेवा उर्फ श्योनारायण

....अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. जगदीश
2. नानू
3. पप्पू
4. कैलाश

–पुत्रगण स्वर्गीय नाथूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासीगण ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर

5. रामजीलाल पुत्र स्वर्गीय नाथूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती लादी बेवा नाथूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर
6. मु. पार्वती पुत्री स्वर्गीय नाथूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती लादी बेवा नाथूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर
7. मु. लादी बेवा स्वर्गीय नाथूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर
8. मु. मोटा पुत्री स्वर्गीय नाथूराम धर्मपत्नि माणकचंद जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
9. ओम प्रकाश पुत्र लादू – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**
    - 9/1. कालूराम
    - 9/2. बाबुलाल
    - 9/3. भगवानसहाय
    - 9/4. लक्ष्मीनारायण
    - 9/5. राजेन्द्र
    - 9/6. रामकिशोर
    - 9/7. सुरेश

–पुत्रगण ओमप्रकाश जाति बागडा ब्राहमण निवासीगण ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

10. श्रीमती प्रभाती पुत्री स्वर्गीय श्योला उर्फ श्योनारायण धर्मपत्नि गोपाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम शिवार तहसील व जिला जयपुर
11. श्रीमती नान्छी पुत्री स्वर्गीय श्योला उर्फ श्योनारायण पत्नि प्रभू जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम शिवार तहसील व जिला जयपुर
12. श्रीमती कमली पुत्री श्योला पत्नि रामू
13. श्रीमती शांति पुत्री श्योला पत्नि रामस्वरूप
–जाति बागडा ब्राहमण निवासी हलंदपुरा, जयपुर
14. श्रीमती मीरा पुत्री स्वर्गीय श्योला पत्नि दिनेश जाति बागडा ब्राहमण निवासी लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

....तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्रीमति विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री जमील अहमद कुरैशी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री जे.पी.माथुर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स
श्री अजयपाल ढिढारिया, अधिवक्ता, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी

निर्णय

दिनांकः– 19–03–2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं. 40/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त अपील के विचारण के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत गिरधारीलाल शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा पौत्र स्वर्गीय श्योला उर्फ श्योनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बढारना तहसील आमेर जिला जयपुर आलोच्य द्वितीय अपील में पक्षकार प्रतिस्थापित किए जाने बाबत पेश किया गया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्ष को सुना। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के दादा मूल वाद की कार्यवाही में पूर्व से ही पक्षकार संयोजित है। द्वितीय प्रथम अपीलीय न्यायालय की कार्यवाही में उसके पिता भी पक्षकार प्रतिस्थापित है। विधिक नियमों के अनुसार आवेदक को मूल वाद व प्रथम अपीलीय न्यायालय की कार्यवाही के दौरान आवेदन पेश कर इस बाबत चाराजोही कर पक्षकार बनना चाहिए था। तदनुसार विधिक प्रावधानों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर आवेदक को पक्षकार प्रतिस्थापित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सारांशतः आवेदक का आलोच्य प्रार्थना पत्र सारहीन होना घोषित करते हुए खारिज किया जाता है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष नाथू व ओमप्रकाश ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के तहत ग्राम बढारना तहसील आमेर स्थित विवादित आराजियात कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी श्योला व राज्य सरकार को पक्षकार संयोजित करते हुए पेश किया। वाद के विचारण के दौरान वादी नाथू व प्रतिवादी श्योला का देहान्त होने के कारण उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेते हुए कार्यवाही सम्पादित की गई। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/11 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर विकल्प में निवेदन किया कि यदि प्रश्नगत रकबे में लादू के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का आपसी मनबट के आधार पर बंटवारा होना नही मानते हुए न्यायालय वादीगण नाथू एवं ओमप्रकाश तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्योला उर्फ श्योनारायण को 1/6–1/6 हिस्से के अनुसार सहकृषक माने तो वादोत्तर के पैरा संख्या 14 में वर्णित समस्त कृषि जोत एवं उसमें स्थित मकानात व कुएं का अन्तिम विभाजन किया जाकर मिन प्रतिवादीगण को लादू की खातेदारी एवं हिस्से की समस्त भूमि 1/2 हिस्सें का अधिकारी होना घोषित करते हुए विधिवत अंतिम विभाजन की डिक्री पारित की जावे। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद में 6 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा

दिनांक 22–02–2001 पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते प्रश्नगत रकबा कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि के 2/3 भाग का खातेदार घोषित कर दिया। इसके साथ ही 1/3 भाग का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2005 द्वारा खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि बाबत दिनांक 04–09–1968 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख श्योला को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिससे विक्रय पत्र को निरस्त करने या शून्यप्रभावी घोषित करने का वाद राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। आगे बताया कि मूल वाद में कथित अपंजीकृत बंटवारेंनामे बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा न ही इसके आधार पर अनुतोष चाहा गया है। यहीं पंजीकृत विक्रय विलेख को यथावत मानने बाबत राजस्व न्यायालय बाध्यकारी है। यहीं नहीं मामले में निष्पादित विक्रय विलेख बाबत सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं की गई है। आगे बताया कि विक्रय विलेख की राशि संयुक्त परिवार से दी जाना मानकर तनकी संख्या 1 गलत प्रकार से निर्णित की गई है। उनका तर्क है कि बिना किसी आधार व दस्तावेज के न्यायालयों ने वादीगण का संयुक्त कब्जा मानकर भूल की है। उनका यह भी कहना है कि वादीगण को प्रश्नगत भूमि बाबत वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ। उनका आगे कहना है कि बंटवारे के वाद में अन्तिम डिक्री

जारी करने से पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा नियमानुसार जारी नहीं की जा सकती। उनका आगे तर्क है कि गवाहान के बयानात के विपरीत तथा दावे की प्लीडिंग्स के विरूद्ध वादीगण के वाद को स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने गलती की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2005 व सहायक जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-02-2001 को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने अपीलार्थीगण की अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पारिवारिक समझौते से अपीलार्थी बाध्यकारी है। यहीं नहीं समस्त तथ्यों व सहकाश्त को गवाहों के बयानात से प्रदर्शित करवाया गया है। यह भी कहा कि न्यायहित में किसी भी सुसंगत दस्तावेज को कभी भी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। चाहे ऐसे दस्तावेज का वर्णन दावे की कार्यवाही में नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के पिता श्योला की स्वतंत्र आय होना या उधार राशि लेने बाबत तथ्य किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं करवाया गया है। साथ ही विक्रय विलेख में क्रय की गई भूमि के बाबत विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पारिवारिक समझौते में भूमि का वर्णन दर्ज है, इसके साथ ही पारिवारिक समझौते का पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है। आगे बताया कि पारिवारिक समझौते में पारिवारिक सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित है, जिसके अनुसार प्रश्नगत रकबे को संयुक्त परिवार का ही हिस्सा प्रदर्शित किया गया है। उनका तर्क है कि नाथू, जगदीश व श्योला अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। लादू पिता के समय उन्हीं के साथ रहकर 1/2 हिस्से पर समस्त काश्त करते थे तथा श्योला सबसे बडा भाई होने से प्रश्नगत आराजी का 1/2 शेष हिस्सा उसी के नाम से क्रय किया गया,

लेकिन समस्त आराजियात को सभी सदस्य संयुक्त रूप से काश्त करते थे। चूँकि प्रश्नगत रकबे का 1/2 हिस्सा संयुक्त परिवार की आय से क्रय किए जाने के हिस्सा भी संयुक्त आराजी हो गई तथा पिता लादू के देहान्त के बाद तीनों ही भाईयों ने समस्त आराजी का बंटवारा अर्थात सम्पादित हुए पारिवारिक समझौते के अनुसार किया है। उक्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में समवर्ती निष्कर्ष है, जो कि उचित है तथा जिनमें हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण अपीलार्थीगण ने प्रदर्शित नहीं किए है। अन्त में उन्होंने द्वितीय अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित किए गए निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि सहायक जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष नाथू व ओमप्रकाश ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के तहत ग्राम बढारना तहसील आमेर स्थित विवादित आराजियात कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी श्योला व राज्य सरकार को पक्षकार संयोजित करते हुए पेश किया। वाद के विचारण के दौरान वादी नाथू व प्रतिवादी श्योला का देहान्त होने के कारण उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेते हुए न्यायालय ने कार्यवाही सम्पादित की। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/11 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर विकल्प में निवेदन किया कि यदि प्रश्नगत रकबे में लादू के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का आपसी मनबट के आधार पर बंटवारा होना नही मानते हुए न्यायालय वादीगण नाथू एवं ओमप्रकाश तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्योला उर्फ श्योनारायण को 1/6–1/6 हिस्से के अनुसार सहकृषक माने तो वादोत्तर के पैरा संख्या 14 में वर्णित समस्त

कृषि जोत एवं उसमें स्थित मकानात व कुएं का अन्तिम विभाजन किया जाकर मिन प्रतिवादीगण को लादू की खातेदारी एवं हिस्से की समस्त भूमि 1/2 हिस्सें का अधिकारी होना घोषित करते हुए विधिवत अंतिम विभाजन की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद में 6 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 22-02-2001 पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते प्रश्नगत रकबा कुल किता 4 कुल रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि के 2/3 भाग का खातेदार घोषित कर दिया। इसके साथ ही 1/3 भाग का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2005 द्वारा खारिज की है।

9. अपीलार्थीगण का आक्षेप है कि प्रश्नगत रकबा श्योला की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जबकि वादीगण का तर्क है कि प्रश्नगत रकबे का 1/2 हिस्सा परिवार की संयुक्त आय से क्रय किया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार पाया जाता है कि गवाहान ने प्रदर्शित किया कि परिवार की कमाई तथा व्यय शामलाती था और दादा के पास इस बाबत हिसाब-किताब रहता था तथा गवाहान ने पिता के आय के साधन की जानकारी नहीं होना प्रकट किया है। प्रदर्श-2 राशनकार्ड के रजिस्टर की प्रति के अनुसार वर्ष 1966 में सभी सदस्य सम्मिलित रूप से निवास करते थे। अतः यह प्रमाणित तथ्य है कि वर्ष 1968 में परिवार के समस्त सदस्य साथ रहते थे तथा सभी कृषि कार्य सामूहिक रूप से करते थे। इसका अभिप्राय यह है कि श्योला की आय का अन्य कोई स्त्रोत उपलब्ध नहीं था। यह भी प्रमाणित होता है कि संयुक्त परिवार की आय से ही प्रश्नगत रकबे का 1/2 हिस्सा क्रय किया गया, जो कि श्योला के नाम से क्रय किया जाना प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवारे का दस्तावेज भी उपलब्ध है, जिससे प्रदर्शित होता है कि प्रश्नगत रकबे की सम्पूर्ण भूमि उसमें शामिल करते हुए बंटवारा किया गया है तथा इसे अमान्य होने बाबत किसी गवाहान ने कहा नहीं

है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पक्षकारान के परिवार में सम्पादित हुआ पारिवारिक समझौता, जो कि प्रदर्श–1 है तथा यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो कि आलोच्य प्रकरण के निस्तारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी स्थिति प्रकट होती है कि जब पक्षकारान के परिवार में पारिवारिक समझौता हो गया तो ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाये जाने बाबत दावे पेश कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

10. उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय 6 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात व विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचित करके आज्ञा दिनांक 22–02–2001 पारित करने में न्यायालय ने किसी विधि का उल्लघंन अथवा उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होना प्रदर्शित नहीं होता है। सांराशतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है।

11. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित किए गए निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए न्यायालय ने अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में दिए गए अभिमत का भी उपलब्ध रेकार्ड की रोशनी में विधिवत परीक्षण किया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल पाये जाने के कारण ऐसे विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

12. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है तथा वर्तमान में उपलब्ध स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निष्कर्षो में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया

जाना चाहिए जब तक कि पारित किए निर्णय में विधि की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया हो। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पारित आक्षेपित निर्णय विधायिका की भावना के अनुसरण में पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन/बलहीन होना दर्शित होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2005 एवं सहायक जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-02-2001 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जमील अहमद कुरैशी)
सदस्य

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य